रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1557] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2014/श्रावण 13, 1936
No. 1557] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2014/SHRAVANA 13, 1936

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

(शुद्धिकरण)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

का.आ. 1987(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 संशोधन आदेश, 2013 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची-1

[धारा 4(3) देखें]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

1. धारा 4 के अधीन अधिसूचित स्कीम को सभी राज्यों द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" कहा जाएगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) का उल्लेख होगा ।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को इसके पश्चात् "महात्मा गांधी नरेगस" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और उक्त स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से संबंधित किसी निदेश को "महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा. **अ''.** के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

3. स्कीम के सारभाग उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

(क) विहित क्वालिटी और स्थायित्व की **उत्पादक आस्तियों** के सृजन में परिणामस्वरूप मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी के लिए वित्तीय-वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम सौ दिन प्रदान करना।

(ख) निर्धन के **जीविका संसाधन** आधार को सुदृढ़ करना;

(ग) सामाजिक अंतर्वेशन को अतिसक्रिय रूप से सुनिश्चित करना;

(घ) पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

परंतु उक्त उद्देश्य वहां लागू हैं जहां इस अधिनियम और स्कीम द्वारा या उसके अधीन अधिकथित शर्तों के अध्यधीन वयस्क स्वयं सेवक सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य करना है।

4.(1) स्कीम निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रित होगी जिसे नीचे प्रवर्गीकृत किया गया है :

I. <u>प्रवर्ग अ :</u> प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण--

(i) **पेय जल स्रोतों** सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य ;

(ii) **जल संचय** के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य ;

(iii) सूक्ष्म और लघु **सिंचाई** कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, जीर्णोद्धार और अनुरक्षण ;

(iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डीसिल्टिंग सहित **पारंपरिक जलाशयों** का पुनरूज्जीवन ।

(v) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में **वृक्षारोपण,** वृक्ष उगाना, और बागबानी तथा ;

(vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य ।

II. <u>प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल पैरा 5 में गृहस्थी के लिए)</u>

(i) **भूमि विकास के माध्यम** से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना;

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से **आजीविका में सुधार** करना ;

(iii) पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या **बंजर भूमि** का विकास ताकि इसे जुताई के अधीन लाया जा सके ;

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसी अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत **गृहों के संनिर्माण** में अकुशल मजदूरी संघटक ;

(v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, शूकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे **पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना** ; और

(vi) मत्स्य शुष्कण यार्डों, भंडारण प्रसुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में **मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना** ;

III. **<u>प्रवर्ग-इ : एनआरएलएम शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना</u>**

(i) जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं, जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके **कृषि उत्पादकता** संवर्धन करने के लिए संकर्म; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों के आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला;

IV. **<u>प्रवर्ग-ई : ग्रामीण अवसंरचना</u>**

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वत्रंत रूप से या 'खुले में मल त्याग मुक्त' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एककों, आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित **ग्रामीण स्वच्छता**;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का **सड़क नेटवर्क** के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियां, जिनके अंतर्गत पारश्वक नालियां और पुलियां भी है, का संनिर्माण ;

(iii) क्रीड़ा स्थलों का संनिर्माण;

(iv) **आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार** या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवंसरचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी हैं, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म;

(v) ग्राम पंचायतों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों के लिए भवनों, चक्रवात आश्रय, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर शवदाह गृह का संनिर्माण ;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए **खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण** ;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन;

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का **रखरखाव**; और

(ix) **कोई अन्य कार्य,** जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) संकर्म की प्राथमिकता का क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(3) ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय हैं, पुनरावृत्तीय हैं जैसे घास, कंकर हटाना, कृषि संक्रियाएं, नहीं की जाएंगी।

5. **व्यष्टिक आस्तियां** सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से संबंधित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी:

(क) अनुसूचित जातियां

(ख) अनुसूचित जनजातियां

(ग) घुमन्तु जनजातियां

(घ) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब

(च) ऐसी गृहस्थी जिनकी प्रधान महिला है

(छ) शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाली गृहस्थी

(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही

(झ) इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही

(ञ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही, और

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर, उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को फायदा देने के पश्चात् ऐसे कुटुंबों के पास कार्य कार्ड होगा और उनकी भूमि या वास भूमि पर आरंभ की गई परियोजना पर कार्य करने का कम से कम एक सदस्य इच्छुक होगा।

6. राज्य सरकार अन्य सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ इस स्कीम के अधीन संकर्मों के अंतिम सुविधा कार्यन्वयन स्तर तक प्रभावी अंतर विभागीय अभिसरण को प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करेगी जिससे कि आस्तियों की गुणवता और उत्पादकता को सुधारा जा सके और पोषणीय रीति में बहुआयामी निर्धनता का साकल्यवादी ढंग से समाधान करने के लिए संक्रिया में लाया जा सके।

7. पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक क्रमबद्ध, प्रतिभागी योजना अभ्यास होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकथित विस्तृत पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष अगस्त मास से दिसंबर मास तक संचालित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी संकर्मों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा तथा ऐसे संकर्म जिन्हें मध्यवर्ती पंचायतों या अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निष्पादित किया जाना है, को प्रत्याशित परिणामों के साथ मध्यवर्ती या जिला पंचायतों के समक्ष रखा जाएगा।

8. कार्य की मांग को चाहे मौखिक या लिखित हो, को कार्डधारक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, रोजगार दिवस, जो प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत में मास में कम से कम एक बार संचालित किया जाएगा में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जिसमें मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

9. (1) कार्य के लिए प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पर्याप्त कार्य ऐसे ढंग में रखे जाएंगे कि कम से कम एक श्रम गहन लोक कार्य जिसमें कम से कम एक ऐसा कार्य हो जो विशिष्टतया अति निर्बल समूहों विशेष रूप से वृद्ध और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं, मांग के अनुसार कार्य प्रदान करने के लिए सभी समय उपलब्ध रखा जाएगा ।

(2) उक्त संकर्म (संकर्मों) के ब्यौरे ग्राम की दीवारों पर लेखन के माध्यम से सुस्पष्टतः प्रदर्शित किए जाएंगे ।

10. लोक संकर्म प्रवर्ग में कार्य उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालू या अपूर्ण संकर्म को पहले पूरा किया जाए ।

11. काम के लिए मांग के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या उस तारीख जिससे कार्य की अग्रिम आवेदनों के मामले में मांग की गई है, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा ।

12. (1) यदि विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, तो कंप्यूटर प्रणाली या प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा स्वतः यथासंगणित और अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए अनुसार बेरोजगारी भत्ता संदत्त किया जाएगा । कार्यक्रम अधिकारी अपरिहार्य आधार पर ही बेरोजगारी भत्ते को अस्वीकृत कर सकता है ।

(2) उन मामलों में जहां बेरोजगारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना है, वहां कार्यक्रम अधिकारी आवेदकों को रोजगार उपलब्ध न कराने के लिए कारण से लिखित में संबद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करेगा ।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट करेगा कि रोजगार उन मामलों में क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सका जहां बेरोजगारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है ।

13. स्कीम के अधीन प्रत्येक संकर्म में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा सम्यकतः स्वीकृत तकनीकी प्रा**क्क**लन होगा, प्रा**क्क**लनों को स्वीकृति देते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाना अपेक्षित है:

(क) ऐसे सभी संकर्मों के लिए, जिसमें संनिर्माण अंतर्वलित है, प्रभावी लागत, श्रम गहन प्रौद्योगिकियों और स्थानीय सामग्री का उपयोग यथासंभव किया जाएगा;

(ख) मात्राओं (प्रा**क्क**लन में प्रयुक्त) के बीजक सभी पणधारियों के सहजबोध के लिए सामान्य शब्दावली में उल्लिखित किए जाएं ;

(ग) प्रत्येक कार्य में प्रा**क्क**लन का सारांश, डिजाइन और तकनीकी नोट होगा जो कार्य के कार्यान्वयन से प्रत्याशित परिणामों को उपदर्शित करता हो ।

14. ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम रूप दिए गए और खंड या जिला स्तर पर समेकित किए गए संकर्म ग्राम पंचायत स्तर पर संकर्म के अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खंडवार प्रशासनिक या वित्तीय मंजूरी यह पुष्टि करने के पश्चात् ही कि, किसी ग्राम पंचायत में संकर्मों का शेल्फ उस ग्राम पंचायत के लिए अनुमोदित श्रम बजट का दो गुणा से कम नहीं है, दिए जाएंगे ।

15. स्कीम के अधीन अपनाए गए संकर्मों के लिए मस्टर रोल निम्नानुसार रखे जाएंगे, अर्थात्:

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होगा और कार्य के लिए अनुप्रयुक्त कर्मकारों की सूची के साथ कंप्यूटर प्रणाली (ई-मस्टर) द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से जनित्र विशिष्ट पहचान संख्या रखेगा । प्रत्येक मस्टर रोल ग्राम

पंचायत के प्राधिकृत व्यक्ति या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा उसमें ऐसी आज्ञापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) मस्टर रोल, स्कीम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक हाजिरी चिन्हित करके कार्य स्थल पर रखे जाएंगे, जिनके ब्यौरे कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग करके दैनिक आधार पर जन साधारण द्वारा देखने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ग) मस्टर रोल की स्कीम में विहित रीति में आवधिक रूप से पदधारियों द्वारा जांच की जाएगी;

(घ) मस्टर रोल दिए गए अंतिम दिन को बंद किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक कर्मकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा जिसने कार्य किया है और मापन के लिए इसे तकनीकी कार्मिक को सौंपा जाएगा;

(ङ) समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मस्टर रोल का विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखा जाएगा;

(च) जब कार्य प्रगति पर हो तो उस कार्य मे लगे हुए कर्मकार साप्ताहिक चक्रीय आधार पर अपने में से ही कम से कम पांच कर्मकारों का चयन कर सकेंगे कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार अपने कार्यस्थल के सभी बिजकों या बाउचरों का सत्यापन करें और उन्हें प्रमाणित करें;

(छ) सभी कार्य घंटों के दौरान सभी दिनों में मांग किए जाने पर किसी भी व्यक्ति की कार्यस्थल पर मस्टर रोल तक पहुंच होगी;

16. मस्टर रोल के बंद किए जाने के तीन दिन के भीतर प्राधिकृत कार्मिक द्वारा कार्यस्थल पर लिए गए मापन के आधार पर ही संदाय किया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त तकनीकी कार्मिक नियत अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा करने के लिए नियोजित किए जाएं । कर्मकारों के कुटुंबों से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा या उन्हें कुशल बनाया जा सकेगा और तकनीकी शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन के साथ सबसे निचले स्तर के इंजीनियरों के रूप में नियोजित किए जा सकेंगे तथा कुशल कर्मकारों के रूप में मजदूरी का संदाय किया जा सकेगा ।

17. राज्य सरकार किए गए कार्य की मात्रा के साथ, किसी लैंगिक पक्षपात के बिना मजदूरी को संयोजित करेगी और उसे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए तथा विभिन्न मौसमों के लिए समय और गति अध्ययनों के पश्चात् नियत दरों की ग्रामीण अनुसूची और आवधिक रूप से पुनरीक्षित दरों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

18. दरों की एक पृथक् अनुसूची को स्त्रियों, वृद्ध, नि:शक्त लोगों और दुर्बल करने वाली व्याधियों से ग्रस्त लोगों के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा जिससे कि उत्पादकता कार्य के माध्यम से उनकी सहभागिता में सुधार किया जा सके ।

19. (क) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची नियत की जाएगी ताकि आठ घंटों तक, जिसके अंतर्गत विश्राम का घंटा भी सम्मिलित है, कार्य करने वाला वयस्क व्यक्ति एक ऐसी मजदूरी अर्जित करे जो अनुबद्ध मजदूरी दर के समान है;

(ख) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य घंटें शिथिलनीय होंगे किंतु किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे ।

20. ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए सभी कार्य के लिए कुशल और अर्ध कुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक सहित भौतिक घटकों की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । ग्राम पंचायत से भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए काम के लिए, ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर, कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक सहित समस्त भौतिक घटक चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

21. किसी भी ठेकेदार को नियोजित किए बिना कार्य निष्पादित किया जाएगा। स्कीम के अधीन कार्यान्वयन अभिकरण सभी कार्य अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप और आज्ञापक पूर्व सक्रिय प्रकटन और सामाजिक संपरीक्षा के अनुपालन के पश्चात् निष्पादित करेंगे।

22. जहां तक व्यवहार्य हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्यों का निष्पादन श्रमिकों द्वारा ही किया जाएगा और किसी भी श्रमिक विस्थापन मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

23. ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्य के लिए सभी आवश्यक सामग्री राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया का उपयोग करके उपाप्त की जाएगी ।

24. स्कीम के अधीन अनुज्ञात प्रशासनिक लागतों की कम से कम एक तिहाई (1/3) ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, अन्य तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए काम के लिए वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग होगी ।

25. कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध अंतर्विष्ट करने के लिए प्रत्येक स्कीम निम्नलिखित उपायों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) निम्नलिखित से मिलकर बने "**जनता सूचना तंत्र**" का उपयोग करके सभी साधारण लोग और पणधारियों को आधारभूत सूचना का आज्ञापक पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(1) कार्य के ब्यौरे, प्राक्कलित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और प्राक्कलन की मदवार लागत प्रदर्शित करते हुए कार्य के 'जनता' प्राक्कलन को प्रत्येक कार्यस्थल पर प्रदर्शन ।

(2) ग्राम में मुख्य दीवारों या पब्लिक बोर्डों पर प्रदर्शन : रोजगार कार्ड सूची, दिए गए कार्य के दिवसों की संख्या और प्रत्येक कार्य कार्ड धारक को संदत्त मजदूरी और अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारियां ।

(3) ग्राम पंचायत कार्यालय पर बोर्डों के माध्यम से प्रदर्शन : अनुमोदित परियोजनों का शेल्फ, ग्राम पंचायतों और लाइन विभागों द्वारा लिए गए या पूर्ण किए गए वर्षवार संकर्म, प्रदत्त नियोजन, प्राप्त निधियां और व्यय, प्रत्येक कार्य में प्रयुक्त मात्राओं के साथ सामग्री की सूची, वह दरें जिन पर सामग्री उपाप्त की गई थी ।

(4) वेबसाइट पर प्रदर्शन : ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य विभागों के ग्रामीण विकास विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वेबसाइट सूचना का अधिकार अधिनियम, (2005 का 22) की धारा 4(1) (ख) के सभी सत्रह उपबंधों से पूर्णतः संगत होने के लिए अद्यतन हैं और अधिनियम के बारे में संपूर्ण सूचना निःशुल्क डाउनलोड करने योग्य इलैक्ट्रानिक रूप में जनता के लिए उपलब्ध है ।

(ख) **समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा** प्रत्येक मास में सभी संकर्मों के लिए की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम अधिकारी सत्यापन और रिपोर्ट व्युत्पन्न, यदि कोई हो, के लिए पिछले एक मास के दौरान किए गए संकर्मों और किए गए व्यय के ब्यौरे भारत निर्माण कार्यकर्ताओं, ग्राम सामाजिक संपरीक्षकों, स्वयं सहायता समूहों, युवा संघटनों और ऐसे अन्य ग्राम स्तरीय संघटनों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा ।

(ग) **सामाजिक संपरीक्षा** : स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए सभी शर्तों का कार्यान्वयन और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियों का उपबंध, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन सभी व्यय भी हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले प्रत्येक छहः मास में कम से कम एक बार सामाजिक संपरीक्षा के अधीन होगा :

i सामाजिक संपरीक्षकों के रूप में स्थानीय युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण तथा सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए ग्राम पंचायत से बाहर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए युवाओं का प्रशिक्षित सामाजिक संपरीक्षा दल बनाना, परंतु ग्राम सामाजिक संपरीक्षकों में से कम से कम 25 % अ.जा./अ.ज.जा. समूहों से हों । ऐसे युवाओं द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनमें से प्रत्येक को म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.अ. के अधीन कुशल श्रमिक को संदेय पारिश्रमिक से अन्यून दर पर मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

ii. सामाजिक संपरीक्षा दलों को नि:शुल्क अभिलेखों (मस्टर रोल, एम-पुस्तिकाएं, वेतन आदेश) का उपबंध ।

iii. एम-पुस्तकाओं के साथ क्षेत्र में मापों की प्रत्येक कार्य स्थल पर पुनः पुष्टि का सत्यापन; और इस प्रकार निष्पादित कार्य की उपयोगिता और परिणामों का निर्धारण;

iv. संबद्ध फायदाग्राहियों के साथ अभिलेख पर प्रत्येक संवितरण का सत्यापन;

v. प्राक्कलित परिणामों के साथ परिणामों का सत्यापन;

vi. क्षेत्र में हकों के उपबंध का सत्यापन;

vii. दुर्बल समूहों के लिए म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.अ. के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन;

viii. निष्कर्षों को पढ़ने के लिए वार्ड/ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक संपरीक्षाकों द्वारा लोक सुनवाई का संचालन;

ix. सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्टों पर आनुक्रमिक अनुसरण कार्रवाई और दुर्विनियोजित पाई गई रकमों की वसूली करना और सामजिक संपरीक्षा संचालन की तारीख से छः मास के भीतर सामाजिक संपरीक्षाओं में दर्शित अनियमितताओं पर उचित अनुशासनात्मक/दांडिक कार्रवाई करना ।

26. अधिनियम के अधीन खर्च की गई रकमों का कोई दुर्विनियोग उस राज्य में विद्यमान वसूली के लिए राजस्व विधियों के अधीन वसूलनीय होगा ।

27. कार्य की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य को पूर्ण करने के लिए संदत्त कुल मजदूरी किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार है, गुणवत्ता नियंत्रण दलों द्वारा कार्य के नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण के उपबंध ।

28. राज्य सरकार या तो अपने तंत्र के माध्यम से या सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ कार्य करके कामगारों को कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी सुधारने के लिए तथा अधिनियम के अधीन उपबंधित हकों के उपबंधों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें औपचारिक समूहों/श्रम समूहों में संगठित करने के लिए कदम उठाएगी ।

29. निम्नलिखित से मिलकर बना एक प्रभावी **शिकायत प्रतितोष तंत्र** स्थापित करेगी

जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :

(क) प्रत्येक सप्ताह एक दिवस नियत करते हुए शिकायतें जब भी वे उदभूत हों, प्राप्त करने के लिए सांस्थनिक तंत्र, जिसके दौरान सभी पदधारी आवश्यक रूप से वार्ड/ग्राम पंचायत/ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे ;

(ख) शिकायतें प्राप्त करने के लिए सभी प्राधिकृत कार्मिक अधिकारियों द्वारा लिखित, फोन, इंटरनेट और मौखिक रूप में स्वीकृत शिकायतों की रसीद तारीख से जारी करना ।

(ग) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना ।

(घ) जांच पूरी होने पर, संबंधित प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों में शिकायतों के निवारण के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे ।

(ङ) सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में असफल होने पर, उसे अधिनियम की धारा 25 के अनुसार उल्लंघन माना जाएगा ।

(च) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य ध्यान में आने के पश्चात् शिकायत की प्राथमिक जांच या सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक परामर्श अभिप्राप्त करने के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है।

(छ) जांच के निष्कर्ष को लिखित रूप में व्यथित पक्ष या व्यक्ति को सूचित करने के लिए और उसकी शिकायत के निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों के लिए संबंधित प्राधिकारी उत्तरदायी होगा।

(ज) सभी अभिकरणों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएंगी।

(झ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी, जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएंगी, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त रा.ग्रा.रो.ग्रा.स्की. और मंडल आयुक्त रा.ग्रा.रो.ग्रा.स्की. और राज्य शिकायत निवारण अधिकारी को की जाएगी।

(ञ) सभी अपीलें आदेश पारित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर की जाएंगी।

(ट) सभी अपीलों का निपटारा एक मास के भीतर किया जाएगा।

(ठ) वार्ड/ग्राम पंचायत/मंडल/ जिला स्तर पर रजिस्ट्रीकृत शिकायतों का यदि 15 दिनों के भीतर निपटारा नहीं होता तो उन्हें अगले उच्च स्तर पर भेजने के लिए आगे बढ़ाने की और करने की इलेक्ट्रोनिकी रूप से मानीटर।

30. आम्बड्सपर्सन: जारी निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक आम्बड्सपर्सन होगा।

31. राज्य सरकार शिकायतों के निवारण और कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से मानीटर करने के लिए, कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, आम्बड्समेन, सामाजिक संपरीक्षा यूनिट, कॉल सेन्टर या हेल्प लाइन्स, सतर्कता और मानीटरी समितियां, राष्ट्रीय स्तर के मानीटर, रोजगार सहायता केंद्र और समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अस्तित्व का समन्वय करेगी।

32. राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या आम्बड्सपर्सन या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा, जहां कहीं भी सम्यक् जांच के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को साबित किया जाता है, अधिनियम की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

33. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें तथ्य और आंकड़े और स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित उपलब्धियों को रखा जाएगा और उसकी एक प्रति, जनता की मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी।

34. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों व मस्टर रोल को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते है।

35. स्कीम के भाग के रूप में एक सामर्थ्य निर्माण स्कीम सूचना शिक्षा संचार स्कीम और पंचायतों को शक्ति देने के लिए एक स्कीम होगी।

अनुसूची II

(धारा 5 देखें)

स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

कार्य कार्ड :-

1. प्रत्येक गृहस्थी का वयस्क सदस्य जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत में, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहते हैं, कार्य कार्ड जारी हेतु अपनी गृहस्थी को रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए नाम, आयु और गृहस्थी का पता, प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कार्य चाहने वाली यथास्थिति कोई एकल महिला या निःशक्त व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति या मुक्त किया गया बंधुआ श्रमिक या विशिष्टतया सहजभेद्य समूह से संबंधित है तो उन्हें विशिष्ट रंग का विशेष कार्य कार्ड दिया जाना चाहिए जो उन्हें यथास्थिति कार्य प्रदान करने, कार्य मूल्यांकन और कार्य स्थल में विशेष संरक्षण को सुकर बनाना सुनिश्चित करेगा।

2. ग्राम पंचायत का ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यह कर्तव्य होगा कि इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर एक विशिष्ट कार्य कार्ड संख्या के साथ कार्य कार्ड,जारी करें, जिसमें रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों की गृहस्थी की पूरी जानकारी, उनका फोटो, बैंक या डाकघर खाता संख्या, बीमा संख्या और आधार संख्या, यदि कोई हो अतंर्विष्ट हो।

3. जारी किया गया कार्य कार्ड कम से कम पांच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा, जिसके पश्चात् इसे सम्यक्त सत्यापन के पश्चात् नवीकृत किया जा सकेगा।

4. कोई भी कार्य कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता है सिवाय जहां इसकी अनुलीपि पाई जाती है या संपूर्ण गृहस्थी स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से बाहर किसी स्थान के लिए प्रवास कर चुकी हो और गांव में नहीं रहती हो।

5. राज्य सरकार अधिनियम के अधीन मुख्य हकदारियां जो स्पष्ट रूप से निम्नानुसार सूचीबद्ध है, का उल्लेख करते हुए कार्य कार्ड में निम्नलिखित ब्यौरे अद्यतन करने के लिए प्रबंध करेगी।

   (i) दिनों की संख्या जिनके लिए कार्य की मांग की गई;

   (ii) आबंटित कार्य के दिनों की संख्या;

   (iii) मस्टर रोल संख्या सहित आबंटित कार्य का वर्णन;

   (iv) मापमान ब्यौरे;

   (v) संदत्त बेरोजगार भत्ता, यदि कोई;

   (vi) कार्य दिवसों की तारीख और संख्या;

   (vii) तारीखवार संदत्त मजदूरी की रकम;

   (viii) विलंबित संदत्त प्रतिकर, यदि कोई है।

कार्य की मांग :-

6. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम कार्य कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत होगा और तारीख के साथ जारी की गई रसीद कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज की जाएगी।

7. राज्य सहजभेद्य समूहों की आवश्यकताओं का प्रतिक्रियात्मक रूप में सत्यापन करेगा और उन्हें कार्य देगा।

8. कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या दूरभाष या मोबाइल या अंतःक्रिया ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली के माध्यम से या कॉल सेंटर के माध्यम से या वैब साइट या इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए एक किओस्क सेटअप के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य साधन द्वारा किया जा सकता है ।

9. कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के लिए फाइल किया जा सकता है ।

10. गृहस्थी की सकल हकदारी के अधीन रहते हुए, रोजगार के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा या उसको वस्तुतः दिए गए रोजगार के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

11. सामान्यतः, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच से संबंधित संकर्मों से भिन्न, जिसके लिए कार्य हेतु आवेदन कम से कम छह दिन के निरंतर कार्य के लिए होगा, कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिन के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए।

12. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए अर्थात् ऐसे आवेदन जो उस तारीख से जिससे रोजगार चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, के लिए उपबंध किया जाएगा ।

13. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के विषय में उपबंध किया जाएगा परंतु यह तब जब कि तत्संबंधी अवधियां, जिनके लिए रोजगार चाहा गया है, अभिव्याप्त नहीं हो जाती हैं ।

<u>कार्य का आबंटन</u> :

14. ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आवेदक को स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर या अग्रिम आवेदन की दशा में उस तारीख से, जिससे वह कार्य चाहता है, इनमें से जो पश्चातवर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा ।

15. महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो रजिस्ट्रीकृत हैं और कार्य के लिए जिन्होंने अनुरोध किया है । एकल महिला और निःशक्त व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

16. ऐसे आवेदक, जिन्हें कार्य दिया जाता है, कार्य कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर और जिला, मध्यवर्ती या ग्रामस्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर लिखित रूप में इस प्रकार सूचित किया जाएगा ।

17. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

18. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर के व्यास के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा ।

19. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते है । परंतु यह शर्त नए कार्यों के लिए लागू नहीं होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों और वनरोपण के लिए अवधारित किया जाए ।

20. यदि रोजगार पैरा 18 में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यास के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाएगा और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

21. एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक के साथ रोजगार की अवधि कम से कम निरंतर चौदह दिन के लिए होगी ।

कार्यस्थल प्रबंधन :-

22. कार्यस्थल पर कार्य में पारदर्शिता के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित का सुनिश्चित किया जाएगा :-

(i) परियोजना प्रारंभ बैठक की जाएगी जिसमें कार्य के विभिन्न उपबंधों को कर्मकारों को बताया जाएगा;

(ii) कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मंजूर कार्य आदेश की एक प्रति उपलब्ध होगी;

(iii) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य के माप का अभिलेख और कर्मकारों का ब्यौरा उपलब्ध होगा;

(iv) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना पटल लगाया जाएगा और उसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा;

(v) केंद्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार, गठित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों की जांच कर सकेंगी और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधान में और कार्य रजिस्टर में इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलिखित की जाएगी जो केंद्रीय सरकार और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

23. कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बालकों के लिए शेड तथा विश्राम की अवधि, लघु क्षतियों में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी।

24. यदि किसी कार्यस्थल पर किन्ही महिलाओं के साथ आने वाले पांच वर्ष की आयु से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या अधिक है तो ऐसी किसी एक महिला कर्मकार की ऐसे बालकों की देखरेख करने के लिए नियुक्ति करने का उपबंध किया जाएगा। प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति को मजदूरी दर संदत्त होगी। स्थानीय क्षेत्र में अति अधिकारहीन महिला, शोषित दशा में महिला या बंधुआ मजदूर या वे जो सहजभेद्य होने से दुर्व्यापार का शिकार हो रही हैं या जो मैला उठाने के कार्य से मुक्त की गई हैं, को बालकों की देखरेख प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए।

कल्याण :-

25. यदि स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति को नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में कोई शारीरिक क्षति होती है, वह ऐसे यथाअपेक्षित नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा।

26. जहां आहत कर्मकार को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार अस्पताल में ऐसी भर्ती के लिए प्रबंध करेगी जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, औषधियां और दैनिक भत्ते का संदाय भी है, जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।

27. यदि स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या नियोजन के प्रक्रम में और उससे उद्भूत दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है तो यथास्थिति, वह या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को आम आदमी बीमा योजना या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित के अधीन हकदारी के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जाएगा।

28. यदि किसी व्यक्ति, जिसे स्कीम के अधीन नियोजित किया गया है, के साथ आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई व्यक्तिव्य क्षति कारित होती है। तो ऐसा व्यक्ति बिना किसी लागत के चिकित्सा उपचार का हकदार होगा और उक्त दुर्घटना के कारण बालक की मृत्यु या नि:शक्त होने की दशा में, विधिक संरक्षणों को राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा।

मजदूरी संदाय :-

29. (1) मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय न होने की दशा में, मजदूरी करने वाला व्यक्ति विलंब के लिए मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से परे, प्रत्येक दिन के लिए असंदत्त मजदूरी के 0.05 % के प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(क) उस तारीख से जिसके प्रतिकर संदेय हो जाता है, से पंद्रह दिन की अवधि के परे प्रतिकर के संदाय में किसी विलंब पर ऐसे ही विचार किया जाएगा जैसे मजदूरी के संदाय में किसी विलंब पर किया जाता है।

(ख) मजदूरी के संदाय में उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने और विभिन्न कृत्यकारियों या अभिकरणों की सदोषता की गणना के प्रयोजन के लिए राज्य, मजदूरी के संदाय की प्रक्रियाओं को विभिन्न प्रक्रमों में विभाजित करेंगे, जैसे कि -

(i) कार्य का मापमान;

(ii) मस्टर रोल का कम्पयूटरीकरण;

(iii) मापमान का कम्पयूटरीकरण;

(iv) मजदूरी की सूचियों का सृजन; और

(v) निधि अंतरण आदेश अपलोड करना, और कृत्यकारी या अभिकरण जो कि विनिर्दिष्ट कृत्य के निर्वहन के लिए जिम्मेवार हैं, के साथ प्रक्रमवार अधिकतम समय सीमा विनिर्दिष्ट करना

(ग) कम्पयूटर प्रणाली में, मस्टर रोल बंद होने की तारीख से मजदूरी करने वालों के खातों में मजदूरी जमा करने की तारीख के आधार पर संदेय प्रतिकर की स्वतः संगणना करने का उपबंध होगा ।

(घ) राज्य सरकार ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिकर का संदाय करेगी और कृत्यकारियों और अभिकरणों, जो कि संदाय के विलम्ब के लिए जिम्मेवार हैं, से प्रतिकर वसूल करेगी ।

(ङ) जिला प्रोग्राम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि प्रणाली प्रचालित रह रही है ।

(च) विलम्ब के दिनों की संख्या, संदेय प्रतिकर और वास्तविक संदत प्रतिकर को मानीटरी और सूचना प्रणाली और मजदूर बजट में दर्शाया जाएगा ।

(2) उप पैरा (1) का प्रभावी कार्यान्यवन अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए आवश्यक माना जाएगा ।

30. मजदूरी का संदाय, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी छूट न दी जाए सुसंगत बैंकों या डाक घरों में कर्मकारों के व्यष्टिक जमा खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

31. स्कीम के अधीन प्रदान किए गए नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

अभिलेख अनुरक्षण और शिकायत प्रतितोष प्रणाली :-

32. ग्राम पंचायत, ऐसे रजिस्टर, वाऊचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो कार्य कार्ड की विशिष्टियों से युक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत कार्य कार्डो और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।

33. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके वयस्क सदस्यों के नाम और पते की ऐसी सूची या सूचियां तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबंद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर ऐसे प्ररुप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी।

34. (1) इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सूनामी और भूकंप जैसी राष्ट्रीय विपत्तियों की दशा में जिसके परिणाम-स्वरूप ग्रामीण आबादी का व्यापक विस्थापन, होता है इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य—

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य कार्ड जारी करवा कर सकेंगे ;

(ख) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे; और

(ग) हानि या विनाश की दशा में, कार्य कार्ड के पुनः रजिस्ट्रीकरण और पुनः जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) ऐसे कार्य कार्डो के ब्यौरों से जिला प्रोग्राम समन्वयक को संसूचित किया जाएगा।

(3) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी कार्य कार्ड, निवास के मूल स्थान पर पुनः पृष्ठांकित किया जाएगा और मूल कार्य कार्ड के प्राप्त होने पर उसके साथ जोड़ दिया जाएगा।

(4) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी।

35. प्रत्येक कर्मकार को स्कीम के अधीन, शिकायत प्रतितोष तंत्र के उपबंधों के अनुसार सुनवाई का और किसी भी शिकायत का लिखित या मौखित रूप में रजिस्टर करने का, प्रत्येक कर्मकार को स्कीम के अधीन कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर सुने जाने का और अपनी शिकायत को रजिस्टर करने का अवसर होगा।

[फा. सं. जे-11011/5/2006-एमजीएनआरईजीए]

आर. सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

टिप्पण 1 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 को पहली बार संख्यांक का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित किया गया :

1. का.आ. 88(अ), तारीख 14 जनवरी, 2008
2. का.आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का.आ. 3000(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008
4. का.आ. 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
5. का.आ. 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010
6. का.आ. 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011

7. का.आ. 2202(अ), तारीख 22 सितंबर, 2011

8. का.आ. 2423(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2011

9. का.आ. 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012

10. का.आ. 2754(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2012

11. का.आ. 164(अ), तारीख 14 जनवरी, 2013

12. का.आ. 867(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2013

13. का.आ. 1770(अ), तारीख 20 जून, 2013

14. का.आ. 3423(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2013

टिप्पण **2** : उसी प्रकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 2 को पहली बार संख्यांक का.आ. 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित किया गया :

1. का.आ. 802(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2008

2. का.आ. 2188(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008

3. का.आ. 2999(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008

4. का.आ. 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009

5. का.आ. 2266(अ), तारीख 30 सितंबर, 2011

6. का.आ. 2901(अ), तारीख 24 सितंबर, 2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.